न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 37/2023/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 4.12.2023

अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

अब्दुन सलाम पुत्र लाड खां जाति मुसलमान निवासी खीमच तहसील रामगंजमण्डी थाना सुकेत जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सत्यनारायण मेघवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 6.5..2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) के विरूद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र 521 बारह बोर बन्दूक दो नाली नं0 9570 जो दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकृत है को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा के यहा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन पत्र को बिना उचित कारण के दिनांक 2.8.2022 को निरस्त कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के पत्रांक कोग्रा/वि.शा./आ.ला.नं./8 (4)/2022/525 के माध्यम से नवीनीकरण के संबध मे प्रेषित की गई रिपोर्ट मे थाना सुकेत की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के लाईसेन्स को नवीनीकरण किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना तथा पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण की रिपोर्ट मे भी अपीलांट का आचरण अच्छा होना वर्णित किया गया है। अपीलांट एक राजनेतिक पार्टी का कार्यकर्ता है तथाा पत्थर व्यवसाय का कारोबार है। समाज मे मान सम्मान है। आने जाने मे आत्म रक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मुकदमे के विचाराधीन होने के कारण आवेदन पत्र को खारिज किया है उक्त मुक0 नं0 161 दिनांक 30.6.2018 व धारा 147, 148, 323, 34, 447, 504 आईपीसी मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन है। वह प्रकरण झूंठा दर्ज कररावा गया है जिसमे अभी कोई निर्णय नही हुआ है। निर्णय के पहले ही अपीलांट को दोषी मान लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है केवल मात्र अवधारणा करके किसी भी व्यक्ति/अपीलांट को उसके मौलिक अधिकारो व मिलने वाले लाभो से वंचित नही किया जा सकता। जब तक न्यायालय दोष सिद्धी करार नही दे देता तब तक लाईसेन्स को नवीनीकरण करने पर रोक नही है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश अपीलार्थी के हितो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 2.8.2022 को निरस्त किये जाने तथा ला0 नं0 521 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुक0 नं0 161 दिनांक 30.6.2018

व धारा 147, 148, 323, 34, 447, 504 आईपीसी मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने के आधार पर आवेदन पत्र को खारिज किया है वह प्रकरण झूंठा दर्ज कररावा गया है जिसमे अभी कोई निर्णय नही हुआ है। निर्णय के पहले ही अपीलांट को दोषी मान लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है केवल मात्र अवधारणा करके किसी भी व्यक्ति/अपीलांट को उसके मौलिक अधिकारो व मिलने वाले लाभो से वंचित नही किया जा सकता। जब तक न्यायालय दोष सिद्धी करार नही दे देता तब तक लाईसेन्स को नवीनीकरण करने पर रोक नही है। अंत मे अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र 521 बारह बोर बन्दूक दो नाली नं0 9570 जो दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकृत है को आगामी अवधि के लिये नीवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा ने मुक0 नं0 161 दिनांक 30.6.2018 के विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी का नवीनीकरण आवेदन पत्र लोकशाति के विरूद्ध होना अंकित करते हुये नवीनीकरण नही करने का जेरअपील आदेश दिनांक 2.8.2022 पारित किया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि मुक0 नं0 161 दिनांक 30.6.2018 व धारा 147, 148, 323, 34, 447, 504 आईपीसी मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन है तथा प्रकरण झूंठा दर्ज कराया गया है जिसमे अभी कोई निर्णय नही हुआ है निर्णय के पहले ही अपीलांट को दोषी मान लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का नोटिस व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण की रिपोर्ट पत्रांक कोग्रा/वि.शा./आ.ला.नं./8 (4)/2022/525 के माध्यम से नवीनीकरण के संबध मे प्रेषित की गई रिपोर्ट मे थाना सुकेत की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के लाईसेन्स को नवीनीकरण किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना तथा पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण की रिपोर्ट मे भी अपीलांट का आचरण अच्छा होना वर्णित किया गया है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि जेरअपील आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई कारण भी उपलब्ध नही है जिससे लोकशांति की सुरक्षा हेतु अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जाना आवश्यक है। अतः सहज न्याय के दृष्टिगत हम यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य जेरअपील आदेश दिनांक 2.8.2022 पारित करने पूर्व अपीलांट को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही कर त्रुटि की है ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य जेरअपील आदेश दिनांक 2.8.2022 अपास्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाड) किया जाता है कि अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र के संबध मे गुणावगुण के आधार पर विचार कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 6.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया। ६

(उर्मिला राजोरिया)
सभागीय आयुक्त
कोटा